उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग–3
संख्याः– 1106 / 36–03–2022–14(सा0) / 2019
लखनऊ : दिनाँक : 03 अगस्त, 2022

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार आपत्तियॉ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 1089 / 36–03–2022–14(सा0) / 2019, दिनांक 29 जून, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नवम् संशोधन) नियमावली, 2022 प्रकाशित की गयी थी।

और, चूँकि, कोई आपत्ति और सुझाव निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962) की धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं–

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नवम् संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	**1–(1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (नवम् संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी। **(2)** यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।
नियम 2–क का संशोधन	**2–** उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 1963 में, नियम–2क में:–

(एक) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक विद्यमान उपनियम	**स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
प्रत्येक दुकान या व्यापारिक स्थापन का स्वामी उक्त अधिनियम की धारा–4(ख) की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर अपनी दुकान या व्यापारिक स्थापन के पंजीकरण के लिए सम्बद्ध निरीक्षक के प्रारुप (ठ) में अभ्यावेदन करेगा। अभ्यावेदन स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और पंजीकरण शुल्क जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है, के संदाय के सबूत में सम्बद्ध निरीक्षक के पक्ष में ट्रेजरी चालान / बैंक ड्राफ्ट (रेखांकित) के साथ होगा। उस वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान जिसके बारे में पंजीकरण चाहा गया है, किसी दिवस पर दुकान या व्यापारिक स्थापन मे नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या उद्ग्रहणीय शुल्क की राशि को विनिश्चित करने के लिए	(2). प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का स्वामी, उक्त अधिनियम की धारा 4(ख) की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नीचे यथा विनिर्दिष्ट और श्रमायुक्त द्वारा यथा विहित अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान करने पर अपनी दुकान या अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करेगा। वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित कर्मचारियों की अधिकतम संख्या पर फीस एक बार ही उद्गृहीत की जायेगी।

विचार में ली जायेगी।

भाग-I				
क्रम सं0	दुकान की श्रेणी	प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग का शुल्क	व्यापारिक स्थापन की श्रेणी	प्रति वित्तीय वर्ष या वर्ष के भाग का शुल्क
1.	2.	3.	4.	5.
1.	बगैर किसी कर्मचारी के	40	बगैर किसी कर्मचारी के	80
2.	1 से 5 कर्मचारी नियोजित करने वाली	150	1 से 5 कर्मचारी नियोजित करने वाली	300
3.	6 से 10 कर्मचारी नियोजित करने वाली	200	6 से 10 कर्मचारी नियोजित करने वाली	400
4.	11 से 25 कर्मचारी नियोजित करने वाली	400	11 से 25 कर्मचारी नियोजित करने वाली	1000
5.	25 से अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाली	500	25 से अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाली	2000

भाग-I				
क्रम संख्या	दुकान की श्रेणी	रजिस्ट्रीकरण हेतु एकमुश्त फीस	वाणिज्य अधिष्ठान की श्रेणी	रजिस्ट्रीकरण हेतु एकमुश्त फीस
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1 से 5 कर्मचारी नियोजित करने वाली	2250	1 से 5 कर्मचारी नियोजित करने वाली	4500
2.	6 से 10 कर्मचारी नियोजित करने वाली	3000	6 से 10 कर्मचारी नियोजित करने वाली	6000
3.	11 से 25 कर्मचारी नियोजित करने वाली	6000	11 से 25 कर्मचारी नियोजित करने वाली	15000
4.	25 से अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाली	7500	25 से अधिक कर्मचारी नियोजित करने वाली	30000

भाग-II		
क्रम सं0		रु0
1.	व्यापारिक स्थापन जो कि रंगशाला या चलचित्र के लिए या किसी आमोद प्रमोद या मनोरंजन या बारात घर	1000

भाग-II		
क्रम संख्या		रु0
1.	वाणिज्य अधिष्ठान जिसका उपयोग रंगशाला या चलचित्र के लिए या किसी अन्य सार्वजनिक आमोद प्रमोद या	15000

	या या अतिथिगृह के रुप में प्रयुक्त किया जाता है।			मनोरंजन या बारात घर या अतिथिगृह के रुप में किया जाता है।	
2.	तीन तारांकित स्तर तक का होटल	2000	2.	तीन सितारा स्तर तक का होटल	30000
3.	चार या पॅाच तारांकित होटल या समान स्तर का होटल	5000	3.	चार या पॅाच तारांकित होटल या समान स्तर का होटल	75000
4.	1 से 25 कर्मचारियों को नियोजित करने वाली पंजीकृत कम्पनी का स्वामित्व रखने वाली कोई दुकान या व्यापारिक स्थापन	1000	4.	1 से 25 कर्मचारियों को नियोजित करने वाली रजिस्ट्रीकृत कम्पनी का स्वामित्व रखने वाली कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान	15000
5.	गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान / अधिष्ठान	2000	5.	गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान / अधिष्ठान	30000

(दो) नीचे स्तम्भ 1 दिये गये विद्यमान उपनियम (4) तथा (5) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1
विद्यमान उपनियम

दुकान या व्यापारिक स्थापन का हर एक स्वामी अपनी दुकान या व्यापारिक स्थापन का पंजीकरण पॅाच वित्तीय वर्ष के लिए पंजीकृत करवाएगा और नवीनीकरण की स्थिति में पॅाच वित्तीय वर्षों के लिए नवीनीकृत करवायेगा जोकि इस अधिनियम के अन्तर्गत अगले नवीनीकरण के समय विहित शुल्क के भुगतान पर अगले 10 वर्षों तक के लिए हो सकता है।

ऐसी दुकान या व्यापारिक स्थापन जो कि वार्षिक संविदा के आधार पर चलाए जाते हैं, केवल उस वित्तीय वर्ष के लिए शुल्क का संदाय करेंगे जिसके लिए संविदा की गयी है।

धारा 4–ख के अंतर्गत अनुदत्त धारा 4(ग) के अंतर्गत नवीकृत हर एक पंजीकरण प्रमाण–पत्र इतने वित्तीय वर्षो के लिए वैध बना रहेगा जितने के लिए यह पंजीकृत या नवीकृत किया जाता है।

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(4)(एक) किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का प्रत्येक स्वामी अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण एक बार करवाएगा। ऐसे दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान, जो वार्षिक संविदा के आधार पर चलाए जाते हैं, उस वर्ष के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे और उपरोक्त विहित फीस के पन्द्रहवें (1/15) भाग का भुगतान करेंगे।

(दो) दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान, जो पूर्व से पांच वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं उनका नवीकरण, नियम 2 क के उपनियम (2) के अधीन विहित फीस का भुगतान करने पर किया जाएगा।

(5) निकाल दिया गया

(तीन) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (7) तथा (8) के स्थान पर स्तम्भ–2 मे दिया गया उप–नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

पंजीकरण प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण

(v) पंजीकरण प्रमाण–पत्र के नवीनीकरण के लिए सादे कागज पर उसमें स्वामी का

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(7) निकाल दिया गया

नाम, दुकान/व्यवसायिक स्थापन के नाम और पते और कर्मचारियों की संख्या का कथन करते हुए प्रत्येक अभ्यावेदन सम्बद्ध निरीक्षक को किया जाएगा और विहित शुल्क के साथ होगा। नवीकरण प्रमाण पत्र का प्ररूप 'द' में होगा।

(vi) पंजीकरण प्रमाण–पत्र के नवीकरण के लिए प्रभारित शुल्क वही होगी जो कि उसके अनुदान के लिए होगी।

पंजीकरण प्रमाण–पत्र और इसके नवीकरण के लिए अभ्यावेदन पर विलम्ब शुल्क

यदि दुकान या व्यापारिक स्थापन के पंजीकरण के लिए अभ्यावेदन अधिनियम की धारा 4–ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्त नहीं की जाती है अथवा पंजीकरण के नवीकरण के लिए अभ्यावेदन उपनियम 7 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अविधि के भीतर प्राप्त नहीं की जाती है तब ऐसी पंजीकरण या नवीकरण यथास्थिति पंजीकरण या नवीकरण शुल्क के $12 \frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग की दर से विहित शुल्क से अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा। विलम्ब शुल्क अभ्यावेदन के साथ होगी।

(8) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र और इसके नवीकरण के लिए आवेदन पर विलम्ब फीस

यदि किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन अधिनियम की धारा 4–ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं किया जाता है तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण, विहित शुल्क के अतिरिक्त प्रति माह रजिस्ट्रीकरण फीस या उसके आंशिक भाग के एक प्रतिशत की दर से विलम्ब फीस का भुगतान किये जाने पर ही किया जायेगा।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1106(1)/36–03–2022 तददिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रतिलिपि अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 03 अगस्त, 2022 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट–4 (खण्ड क) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतियाँ श्रम अनुभाग–3 बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ को एवं 250 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर पेटी संख्या–220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– श्रम आयुक्त, उ0प्र0 कानपुर।

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

03/08/2022

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

E/vikalp 2022 UP Shop rules final

UTTAR PRADESH SHASAN
SHRAM ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1106 /XXXVI-03-2022-14(Sa.)/2019 dated 03 August, 2022:

NOTIFICATION

No. 1106 /XXXVI-03-2022-14(Sa.)/2019
Lucknow; Dated: 03 August, 2022

WHEREAS the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Navam Sanhodhan) Niyamawali, 2022 was published by Government notification no. 1089/ XXXVI-03-2022-14(Sa.)/2019, dated 29 June, 2022 with a view to inviting objections and suggestions as required by sub-section (3) of section 40 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962 (U.P. Act no. 26 of 1962).

AND WHEREAS no objection and suggestion has been recived within stipulated time. Now, THEREFORE in exercise of the powers under sub-section (1) of section 40 of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962 (U.P. Act no. 26 of 1962) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijiya Adhisthan Niyamawali, 1963:

THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA ADHISHTHAN (NAVAM SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2022

Short title and commencement 1(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Navam Sanshodhan) Niyamawali, 2022.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 2-A 2. In the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan Niyamawali, 1963 in rule 2-A:-

(i) for the existing sub-rule (2) set out in Column-I below, the sub- rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I Existing sub-rule	COLUMN -II Sub-rule as hereby substituted
(2) The owner of every shop or commercial establishment shall within the period as specified in sub-section (1) of section 4-B of the said Act, make an application in Form "L" to the Inspector concerned for registration of his shop or commercial establishment. The application shall be signed by the owner and accompanied by a Treasury Challan/Bank Draft (crossed) in favour of the Inspector	(2) The owner of every shop or commercial establishment shall, within the period as specified in sub-section (1) of section 4-B of the said Act, make an application for registration of his shop or establishment on payment of requisite registration fee as specified below and in the manner as prescribed by the

concerned in proof of payment of registration fee as specified below. The maximum number of employees employed in the shop or commercial establishment on any day during the financial year in respect of which the registration is sought will be taken into consideration for deciding the amount of fee leviable.

Labour Commissioner. The fee will be levied one time only on maximum number of employees employed during finanical year.

PART I

Sl no.	Category of shop	Fee per financial year of part of the year	Category of commercial establishment	Fee per financial year of part of the year
1.	2.	3.	4.	5.
1.	With no employee	40	With no employee	80
2.	Employing 1 to 5 employees	150	Employing 1 to 5 employees	300
3.	Employing 6 to 10 employees	200	Employing 6 to 10 employees	400
4.	Employing 11 to 25 employees	400	Employing 11 to 25 employees	1000
5.	Employing more than 25 employees	500	Employing more than 25 employees	2000

PART I

Sl no.	Category of shop	One-time Fee for registration	Category of commercial establishment	One-time Fee for registration
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**
1.	Employing 1 to 5 employees	2250	Employing 1 to 5 employees	4500
2.	Employing 6 to10 employees	3000	Employing 6 to 10 employees	6000
3.	Employing 11 to 25 employees	6000	Employing 11 to 25 employees	15000
4.	Employing more than 25 employees	7500	Employing more than 25 employees	30000

PART II

Sl no.		Rs.
1.	Commercial establishment which is used as theatre or cinema or for any other public amusement or entertainment.	1000
2.	Hotel up to three-starred standard	2000
3.	Four or five-starred hotels or hotels of like standard	5000
4.	Any shop having ownership of	1000

PART II

Sl no.		Rs.
1.	Commercial establishment which is used as theatre or cinema or for any other public amusement or entertainment or Barat Ghar or Guest house	15000
2.	Hotel up to three-starred standard	30000
3.	Four or five-starred hotels or hotels of like standard	75000
4.	Any shop or commercial	15000

	registered company or any commercial establishment employing 1 to 25 employees			establishment having ownership of registered company employing 1 to 25 employees	
5.	Non-Banking Financial Institution/ Adhishthan	2000	5.	Non-Banking Financial Institution/ Adhisthan	30000

(ii) for the existing sub-rules (4) and (5) set out in Column-I below, the sub- rules as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I Existing sub-rules	COLUMN -II Sub-rules as hereby substituted
(4) Every owner of a shop or commercial establishment shall get his shop or commercial establishment registered for five financial years and, if it is a case of renewal, renewed for five financial years which may be up to ten financial years at the time of next renewal under this Act on payment of prescribed fee. The shops and commercial establishments which are run on yearly contract basis shall pay the prescribed fee for that financial year only for which the contract has been given.	(4) (i) Every owner of a shop or commercial establishment shall get his shop or commercial establishment registered one-time. The shops and commercial establishments which are run on yearly contract basis shall apply for licence for that year and shall pay one-fifteenth ($1/15^{th}$) of the above prescribed fee. (ii) The shops and commercial establishments which are already registered for five years shall be renewed once on deposition of fee prescribed under sub-rule (2) of rules 2-A.
(5) Every registration certificate granted under section 4-B or renewed under section 4-C shall remain valid for such number of financial years, as it is registered or renewed for.	(5) Omitted

(iii) for the existing sub-rules (7) and (8) set out in Column-I below, the sub- rules as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I Existing sub-rules	COLUMN -II Sub-rules as hereby substituted
(7) Renewal of registration Certificate:- (i) Every application for renewal of a registration certificate may be made on plain paper stating therein the name of owner, name and address of shop/ commercial establishment and number of employees, to the Inspector concerned and shall be accompanied by the prescribed fee. The renewal of the registration certificate shall be in For 'M'. (ii) The fee chargeable for renewal of a registration certificate shall be the same as	(7) Omitted

for the grant thereof.

(8) Late fee on application for Registration Certificate and its renewal:-

If an application for registration of a shop or commercial establishment is not received within the period specified under sub-section (1) of section 4-B of the Act or an application for renewal of the registration is not received within the period specified in sub-rule (7), such registration or renewal, as the case may be, shall be made only on the payment of a late fee at the rate of 12½ percent of the fee of registration or renewal, per month or part thereof, in addition to the prescribed fee. The late fee shall accompany the application.

(8) Late fee on application for Registration Certificate and its renewal:-

If an application for registration of a shop or commercial establishment is not received within the period specified under sub-section (1) of section 4-B of the Act, as the case may be, such registration shall be made only on payment of a late fee at the rate of one percent of the fee of registration per month or part thereof, in addition to the prescribed fee. The late fee shall accompany the application.

By order,

(Suresh Chandra)
Additional Chief Secretary.